

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस
दावा सं0 81/2020 दायर दिनांक 23.01.2019 निर्णय 27.4.2022

उनवान

1. डुंगरराम पुत्र श्री विजयराम जाति माली निवासी वार्ड सं0 24 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादी

बनाम

1. यादराम पुत्र श्री विजयराम
2. लल्लूराम पुत्र श्री विजयराम
3. महादेव पुत्र श्री विजयराम जाति माली निवासीयान वार्ड 24 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
4. गणेशराम पुत्र प्रेमराम जाति भाट साकिन देवता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
5. रोहताश पुत्र केहरसिंह जाति अहीर निवासी नायुपुर तहसील व जिला गुडगावा प्रान्त हरियाणा।
6. पीएनबी बैंक शाखा खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक बैंक शाखा खैरथल जिला अलवर राज0।
7. एसबीआई बैंक शाखा खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक बैंक शाखा खैरथल तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान उपपंजीयक महोदय खैरथल जिला अलवर राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा तकासमा अन्तर्गत धारा 53 मय हुकमइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-1. श्री धीरसिंह चौधरी वकील वादी की ओर से।

2. श्री मुकेश सैनी प्रतिवादी की ओर से।

पर्चाडिक्री

वाद वादी मुताबिक कुरे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी:-


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

क्रमसं०	नाम खातेदार	ख०न० / रकबा	कुल किता
1.	डुंगरराम पुत्र श्री विजयराम सैनी सा०देह खातेदार राहिन एस०बी०आई० खैरथल	3286 / 014, 3308 / 1 / 037, 3311 / 029, 3524 / 7 / 0.1550	कुल किता 4 रकबा 0.9550
2.	लल्लूराम पुत्र विजयराम सैनी सा०देह खातेदार	3307 / 1 / 0.43, 3524 / 1 / 0.0691, 3524 / 2 / 0.0692, 3314 / 2 / 0.1620, 3314 / 3 / 0.0210 3124 / 1 / 0.1650,	कुल किता 6 रकबा 0.9263
3.	यादराम पुत्र विजयराम सैनी सा०देह खातेदार	3308 / 2 / 0.37, 3312 / 1 / 0.26, 3524 / 5 / 0.0692, 3524 / 6 / 0.0692,	कुल किता 4 रकबा 0.7684
4.	महादेव पुत्र विजयराम सैनी सा०देह खातेदार राहिन युको बैंक खैरथल	3307 / 2 / 0.43, 3524 / 3 / 0.0691, 3524 / 4 / 0.0692, 3124 / 2 / 0.1650, 3314 / 1 / 0.203,	कुल किता 5 रकबा 0.9363
5.	गणेशराम पुत्र प्रेमराम जाति भाट सा०देह खातेदार	3314 / 5 / 0.0140,	कुल किता 1 रकबा 0.0140
6.	डुंगरराम पुत्र विजयराम 1/4 महादेव पुत्र विजयराम 1/4 यादराम पुत्र विजयराम 1/4 लल्लूराम पुत्र विजयराम 1/4 जाति माली सा०देह खातेदार राहिन डुंगरराम हि० 1/4 एस०बी०आई० बैंक खैरथल राहिन महादेव 1/4 युको बैंक खैरथल	3308 / 3 / 0.03, 3524 / 8 / 0.05, 3312 / 2 / 0.02	


 उपखण्ड अधिकारी
 किसानगढवाल (अन्वयरी)

7.	डुंगरदास पुत्र विजयराम 91/360 महादेव पुत्र विजयराम 269/720 लल्लूराम पुत्र विजयराम हि0 269/720 जाति माली सा0देह0 खातेदार राहिन डुंगरदास 29/120 हि0 एस0बी0आई0 खैस्थल	3314/4/0.02	
----	---	-------------	--

तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। प्रस्तावित नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (ओम प्रकाश सहारण)
 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश साहारण आर०ए०एस
दावा सं० 81/2020 दायर दिनांक 23.01.2019 निर्णय 27.4.2022

उनवान

1. डुंगरराम पुत्र श्री विजयराम जाति माली निवासी वार्ड सं० 24 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।

:-वादी

बनाम

1. यादराम पुत्र श्री विजयराम
2. लल्लूराम पुत्र श्री विजयराम
3. महादेव पुत्र श्री विजयराम जाति माली निवासीयान वार्ड 24 खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
4. गणेशराम पुत्र प्रेमराम जाति भाट साकिन देवता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज०।
5. रोहताश पुत्र केहरसिंह जाति अहीर निवासी नायुपुर तहसील व जिला गुडगावा प्रान्त हरियाणा।
6. पीएनवी बैंक शाखा खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक बैंक शाखा खैरथल जिला अलवर राज०।
7. एसवीआई बैंक शाखा खैरथल जरिये शाखा प्रबंधक बैंक शाखा खैरथल तह० किशनगढबास जिला अलवर राज०।
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान उपपंजीयक महोदय खैरथल जिला अलवर राज०।
9. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास जिला अलवर राज०।

:-प्रतिवादीगण

दावा तकासमा अन्तर्गत धारा 53 मय हुकमइम्तनाई दवागी
अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थिति:-1. श्री धीरसिंह चौधरी वकील वादी की ओर से ।
2. श्री मुकेश सैनी प्रतिवादी की ओर से ।


उपखण्ड/अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

निर्णय

दावा के सुक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:- वकील वादी ने दावा पेश कर निवेदन किया कि खाता सं० 339 में वर्णित आराजी ख० नं० 3314 रकबा 0.4200हे० व खाता नं० 340 में वर्णित आराजी ख० नं० 3124 रकबा 0.3300, 3286 रकबा 0.1400, 3307 रकबा 0.8600, 3308 रकबा 0.7700, 3311 रकबा 0.29, 3312 रकबा 0.2800, 3524 रकबा 0.6200 हे० किता 07 रकबा 3.2900हे० वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज० में स्थित है आराजी उक्त वाद में विवादित कहलावेगी।

खाता संख्या 339 में वर्णित आराजी ख० नं० 3314 रकबा 0.4200हे० वादी का 1/4 दर 29/30 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 3 का 3/4 दर 29/30 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 का 1/30 हिस्सा व खाता सं० 340 में वर्णित आराजी ख० नं० 3124 रकबा 0.3300, 3286 रकबा 0.1400, 3307 रकबा 0.8600, 3308 रकबा 0.7700, 3311 रकबा 0.29, 3312 रकबा 0.2800, 3524 रकबा 0.6200 हे० किता 07 रकबा 3.2900हे० वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं० 01 लगा० 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 5 का आ० ख० नं० 3124 रकबा 0.3300हे० में से 1/4 हिस्सा है जो प्रतिवादी लल्लूराम ने अपना उक्त हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 को बेचान कर किया है। स्थित वाके ग्राम खैरथल किशनगढबास जिला अलवर राज० का कब्जा काश्त खातेदारी का है इसी कदर वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 5 अपने अपने हिस्से आराजी पर शांति पूर्वक काबिज काश्त रहकर कर रहे हैं। वादी की खातेदारी की आराजी से प्रतिवादी सं० 1 लगा० का किसी प्रकार का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पक्षकारान की शामिलता आराजी है। लिहाजा अपने अधिकारों की रक्षार्थ वाद पत्र दायर करना लाजिम आया है वादी अपने विवादित आराजी का तकसमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जावे।

दावा प्रस्तुत होन पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया जाकर पक्षकारान की जबाबदेही आने के पश्चात सुना जाकर उक्त वाद दिनांक 18.1.22 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास से कुर्रे कायमी कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार किशनगढबास ने अपने पत्र कमांक/भू०अ/2022/581 दिनांक 09.03.2022 से कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई। कुर्रे कायमी रिपोर्ट आने पर शामिल पत्रावली की जाकर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी बाबत तकासमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाना कानून संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।


असपुड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतःआदेश है कि :-


वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काशत खातेदारी में रहेंगी:-

क्रमसं०	नाम खातेदार	ख०न०/रकबा	कुल किता
1.	डुगरराम पुत्र श्री विजयराम सैनी सा०देह खातेदार राहिन एस०बी०आई० खैरथल	3286 / 014, 3308 / 1 / 037, 3311 / 029, 3524 / 7 / 0.1550	कुल किता 4 रकबा 0.9550
2.	लल्लूराम पुत्र विजयराम सैनी सा०देह खातेदार	3307 / 1 / 0.43, 3524 / 1 / 0.0691, 3524 / 2 / 0.0692, 3314 / 2 / 0.1620, 3314 / 3 / 0.0210 3124 / 1 / 0.1650,	कुल किता 6 रकबा 0.9263
3.	यादराम पुत्र विजयराम सैनी सा०देह खातेदार	3308 / 2 / 0.37, 3312 / 1 / 0.26, 3524 / 5 / 0.0692, 3524 / 6 / 0.0692,	कुल किता 4 रकबा 0.7684
4.	महादेव पुत्र विजयराम सैनी सा०देह खातेदार राहिन युको बैंक खैरथल	3307 / 2 / 0.43, 3524 / 3 / 0.0691, 3524 / 4 / 0.0692, 3124 / 2 / 0.1650, 3314 / 1 / 0.203,	कुल किता 5 रकबा 0.9363
5.	गणेशराम पुत्र प्रेमराम जाति भाट सा०देह खातेदार	3314 / 5 / 0.0140,	कुल किता 1 रकबा 0.0140


उपखण्ड अधिकारी
किसानगढवास (अलदर)

6.	डुंगरराम पुत्र विजयराम 1/4 महादेव पुत्र विजयराम 1/4 यादराम पुत्र विजयराम 1/4 लल्लूराम पुत्र विजयराम 1/4 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन डुंगरराम हि0 1/4 एस0बी0आई0 बैंक खैरथल राहिन महादेव 1/4 युको बैंक खैरथल	3308/3/0.03, 3524/8/0.05, 3312/2/0.02	
7.	डुंगरदास पुत्र विजयराम 91/360 महादेव पुत्र विजयराम 269/720 लल्लूराम पुत्र विजयराम हि0 269/720 जाति माली सा0देह0 खातेदार राहिन डुंगरदास 29/120 हि0 एस0बी0आई0 खैरथल	3314/4/0.02	

तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो । प्रस्तावित नक्शा डिक्री का जुज रहेगा । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


 (ओम प्रकाश सहारण)
 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढबास